**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 230/2026
CNR: RJHC021113502025 | URN: CMA / 505U / 2026

Sunil Kumar Son Of Shri Jagdish, Age 26 Years, Resident Of Khatolai, Tehsil Viratnagar, District Kotputli-Behror (Rajasthan).

----Appellant-Claimant

Versus

1. Sohan Singh Son Of Sumer Singh Shekhawat, Resident Of Bhabru, Tehsil Viratnagar, District Kotputli-Behror (Rajasthan) (Driver, Pickup Number RJ01 GD 0041)
2. Mool Singh, Son Of Bhawani Singh, C/o Satendra Soni, Resident Of 232/8 Mali Mohalla, Pati Katla Dhori HMT Ajmer Hall, At Present Resident Of Rajputon Ka Mohalla, Police Station Pilwa, District Nagaur (Rajasthan) (Registered Owner, Pickup Number RJ01 GD 0041)
3. Universal Sempo General Insurance Company Limited, Through Manager, Address: Ground Floor, 29-B, White Sapphire Apartments, Govind Marg, Adarsh Nagar, Jaipur (Rajasthan) (Insurance Company Pickup Number RJ01 GD 0041)

----Respondents-Non-Claimant.

---

| | | |
|---|---|---|
| For Appellant(s) | : | Mr. Ram Sharan Sharma, Adv. |
| For Respondent(s) | : | Mr. Chanderdeep Singh Jodha, Adv. (for Insurance Company) |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR**

**Judgment**

**17/07/2026**

1. अपीलार्थी **सुनील कुमार** द्वारा यह अपील धारा–173 मोटर वाहन अधिनियम–1988 के तहत **न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) क्रम संख्या–2, शाहपुरा, जिला जयपुर (राजस्थान)** (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा **क्लेम याचिका संख्या–129/2025, बउनवान सुनील कुमार बनाम सोहन सिंह**

**व अन्य** में पारित **निर्णय दिनांक 17.09.2025** (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थी **सुनील कुमार** द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं के आहत हो जाने के फलस्वरूप **कुल 86,00,000/– रुपये** क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याची को **कुल 1,12,000/– रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि **मय ब्याज 06 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थी की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की कोई आय निर्धारित नहीं कर त्रुटि कारित की गई है तथा विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को कारित हुई स्थाई निर्योग्यता के आधार पर शारीरिक व मानसिक पीड़ा, अस्पताल में भर्ती रहने व इलाज पर व्यय राशि के मदों में एकमुश्त 1,12,000/– रुपये की राशि दिलवाई जाकर त्रुटि कारित की गई है। वक्त घटना अपीलार्थी हलवाई का कार्य कर प्रतिमाह 20,000/– रुपये की आय अर्जित करता था, किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त तथ्य पर कोई विचार नहीं किया गया। मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी के पैर में कारित अस्थि भंग की गंभीर चोट के फलस्वरूप उसके शरीर कुल 25.30 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता कारित होना बताया गया है, किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त स्थाई निर्योग्यता को सम्पूर्ण शरीर के परिप्रेक्ष्य में 15 प्रतिशत आंका जाकर त्रुटि कारित की गई है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली सुख–सुविधाओं की कमी व परिवहन व्यय की मदों में कोई समुचित राशि नहीं दिलवाई गयी है। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण के निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थी की ओर से संस्थित की गयी अपील को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. मामले की दुर्घटना में कारित चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी के शरीर पर कुल 25.30 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है। मोटर दुर्घटना में आहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Anant Son of Sidheswar Dukre Vs. Pratap son of Zhampannappa Lamzane & Anr.** reported in **(2018) 9 Supreme Court Cases 450,** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो निम्न प्रकार से है :–

> "**12**. In case of motor accidents leading to injuries and disablements, it is a well settled principle that a person must not only be compensated for his physical injury, but also for the non-pecuniary losses which he has suffered due to the injury. The claimant is entitled to be compensated for his inability to lead a full life, and enjoy those things and amenities which he would have enjoyed, but for the injuries.
>
> **13**. The purpose of compensation under the Motor Vehicles Act is to fully and adequately restore the aggrieved to the position prior to the accident. This Court in Yadava Kumar v. National Insurance Co. Ltd. explained "just compensation" in the following words:
>
> "**15**. It goes without saying that in matters of determination of compensation both the tribunal and the court are statutorily charged with a responsibility of fixing a "just compensation". It is obviously true that determination of a just compensation cannot be equated to a bonanza. At the same time the concept of "just compensation" obviously suggests application of fair and equitable principles and a reasonable approach on the part of the tribunals and courts. This reasonableness on the part of the tribunal and court must be on a large peripheral field.""

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 22.09.2023 की बताई गयी है तथा वक्त घटना अपीलार्थी को हलवाई का

कार्य कर प्रतिमाह 20,000/— रुपये की आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है, किन्तु अपीलार्थी द्वारा स्वयं की आय के संबंध में कोई ठोस प्रमाण विद्वान अधिकरण के समक्ष पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है। विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की कोई आय निर्धारित नहीं कर, अपीलार्थी को कारित हुई स्थाई निर्योग्यता के आधार पर शारीरिक व मानसिक पीड़ा, अस्पताल में भर्ती रहने व इलाज पर व्यय राशि के मदों में एकमुश्त 1,12,000/— रुपये की राशि दिलवाई गई है। यह उल्लेखनीय है कि जिन मामलों में आहत/मृतक की आय प्रमाणित नहीं हो, वहां आहत/मृतक को वक्त घटना कुशल, अकुशल व अर्द्धकुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर उनकी आय निर्धारित किये जाने की सुस्थापित विधि है। मामले की घटना दिनांक 22.09.2023 की बताई गई है। ऐसी स्थिति में हम, घटना की तिथि तथा अपीलार्थी के हलवाई के कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, वक्त घटना अपीलार्थी को कुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर उसकी दैनिक आय 309/— रुपये, तद्नुसार **मासिक आय 309 x 30 = 9,270/— रुपये** निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं। वक्त घटना अपीलार्थी को 24 वर्ष आयु का होना बताया गया है। चूंकि वक्त घटना अपीलार्थी 24 वर्ष आयु का स्वनियोजित व्यवसायी था। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उसकी निर्धारित मासिक आय 9,270/— रुपये में 40 प्रतिशत अर्थात 3,708/— रुपये की बढ़ोतरी करते हुए अपीलार्थी की कुल शुद्ध मासिक आय 12,978/— रुपये निर्धारित की जाती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

8. हस्तगत दुर्घटना में अपीलार्थी के शरीर के विभिन्न भागों में साधारण व गंभीर चोटें कारित होना बताया गया है तथा अपीलार्थी के दाहिने पैर की टीबिया हड्डी में अस्थि भंग की गंभीर चोटें कारित होना बताया गया है, जिसके सामूहिक प्रभाव से अपीलार्थी के शरीर में कुल 25.30 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र

प्रदर्श–17 के अवलोकन से स्पष्ट है। वक्त घटना अपीलार्थी को हलवाई का कार्य करना बताया गया है। ऐसी स्थिति में हम, अपीलार्थी के कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी को कारित हुई 25.30 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता को सम्पूर्ण शरीर के परिप्रेक्ष्य में 15 प्रतिशत आंका जाना उचित समझते हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय में कमी होना स्वाभाविक है। तद्नुसार 15 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता के आधार पर हम, अपीलार्थी को आय की क्षति भी 15 प्रतिशत होना पाते हैं। तद्नुसार अपीलार्थी की निर्धारित मासिक आय 12,978/– रुपये का 15 प्रतिशत 1,947/– रुपये होता है, जो अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की मासिक क्षति है। वक्त घटना अपीलार्थी को 24 वर्ष आयु का होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रासंपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 18 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। तद्नुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की कुल क्षति **1,947 x 12 x 18 = 4,20,552/– रुपये** होती है, जो अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है।

9. विद्वान अधिकरण द्वारा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में 75,000/– रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाई गई है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा भविष्य में होने वाली सुख–सुविधाओं की कमी के मद में पृथक से कोई राशि अपीलार्थी को नहीं दिलवाई गई है। अतः भविष्य में होने वाली सुख–सुविधाओं की कमी के मद में 75,000/– रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को उसके इलाज पर व्यय हुई राशि के मद में 35,200/– रुपये तथा 03 दिवस अस्पताल में भर्ती रहने की मद में 1,800/– रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाई गई है, उपरोक्त मदों में दिलवाई गई राशि में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

12. विद्वान अधिकरण द्वारा पौष्टिक आहार व परिवहन पर व्यय राशि के मदों में पृथक से कोई राशि अपीलार्थी को नहीं दिलवाई गई है। मामले की दुर्घटना में कारित चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी को विशेष आहार की आवश्यकता रही होगी तथा अपीलार्थी को इलाज हेतु अस्पताल आना–जाना भी पड़ा होगा। ऐसी स्थिति में हम, पौष्टिक आहार की मद में 15,000/– रुपये तथा यातायात व परिवहन की मद में 5,000/– रुपये की राशि पृथक से अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

13. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को इलाजरत अवधि के दौरान हुई आय की हानि के मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। यह स्वभाविक है कि मामले की दुर्घटना में कारित हुई चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी करीब 03 माह तक आय अर्जित करने में असमर्थ रहा होगा। ऐसी स्थिति में हम, इलाजरत अवधि के दौरान हुई 03 माह की आय की हानि के मद में 9,270 x 3 = 27,810/– रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

14. उक्तानुसार अपीलार्थी/क्लेमेंट निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है :–

| **क्रम संख्या** | **शीर्ष/मद** | **इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रुपये में)** |
|---|---|---|
| 1. | भविष्य में होने वाली आय अर्जन की क्षमता में कमी के मद में | 4,20,552/– |
| 2. | शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में | 75,000/– |
| 3. | भविष्य में होने वाली सुख–सुविधाओं की कमी के मद में | 75,000/– |
| 4. | इलाज के दौरान व्यय हुई राशि के मद में | 35,200/– |
| 5. | अस्पताल में भर्ती रहने की मद में | 1,800/– |
| 6. | पौष्टिक आहार की मद में | 15,000/– |
| 7. | यातायात व परिवहन पर व्यय राशि के मद में | 5,000/– |
| 8. | इलाजरत अवधि के दौरान हुई 03 माह आय की हानि के मद में | 27,810/– |
| | **इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि** | **6,55,362/–** |
| | विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि | 1,12,000/– |
| | **बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर** | **5,43,362/–** |

15. तदनुसार अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थी/क्लेमेंट को **1,12,000/– रूपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित

किया गया है, के स्थान पर **6,55,362/– रूपये** का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता हैं।

16. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थी, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

17. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

18. सभी लम्बित प्रार्थना–पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

**(ASHUTOSH KUMAR),J**

130-S/LOKESH RAJ